झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

संख्या–9/चि0महा0–7–21/2012.......249(9)/ भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2018 – यथा संशोधित झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2020 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ –

   (i) यह नियमावली झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

   (iii)यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. यथा संशोधित झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2020 के नियम–2 में **संशोधन :–**

यथा संशोधित झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त्त) (संशोधन) नियमावली 2020 के नियम–2 में अंकित **समेकित रूप से 75,000/– प्रतिमाह** के स्थान पर निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा –

टयूटर/वरीय रेजिडेंट	मानदेय (प्रतिमाह)
प्रथम वर्ष	80,000
द्वितीय वर्ष	82,500
तृतीय वर्ष	85,000

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

10.5.23

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 9/चि0महा0–07–12/2019 249(9) स्वा0/राँची, दिनांक : 11.5.23

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई0गजट, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची /अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

10.5.23
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 9/चि0महा0–07–12/2019 249(9) स्वा0/राँची, दिनांकः 11.5.23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची /माननीय मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/ मुख्य सचिव /सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/ विकास आयुक्त/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,झारखण्ड/ योजना सह वित्त विभाग/ विधि (न्याय) विभाग/ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

10.5.23
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 9/चि0महा0–07–12/2019 249(9) स्वा0/राँची, दिनांकः 11.5.23

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वा0 विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, /निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड, राँची/निदेशक, रिम्स, राँची/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा/ प्राचार्य/अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी विभागीय संयुक्त सचिव/ उप सचिव/सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.5.23
अपर मुख्य सचिव